05/1926 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थना-पत्र के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA के तहत प्रार्थीगान द्वारा पेश कर निवेदन किया गया कि आराजी ख.नं. 350, 364 ग्राम पिपरानी तहसील मासलपुर में सामलात के पिता व पिता के भाई की पुश्तैनी काश्तकारी की भूमि रही है। उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व सं. 2010-2013 में सामलात के पिता व पिता के भाई की काश्तकारी व खातेदारी में रही है। जिसे सेटलमेंट कार्मिकों से साज कर गैर सामलात द्वारा अपने नाम दर्ज रिकॉर्ड करवा लिया, जो गलत है। जिसे हम प्रार्थीगान के नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जाये और तब तक अप्रार्थीगान को विवादित आराजी की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबंद किया जाये।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षकारान को तलब

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म की जारी हु
	किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता. 15 ने अपना जवाब मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि सामलात ने गैर-सामलात के खिलाफ स्वार्थ पूर्ण मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है। विवादित आराजी ख.नं. 358, 364 ग्राम सिपरानी का हिस्सा 1/2 गैरसामलात के पिता/पूर्वज लच्छी पुत्र गंगोली की खातेदारी व कब्जे-काश्त की रही है और लच्छी की मृत्यु के बाद उसके वारिस हीरा, मंगल, कुड्डु, गोरधी के नाम विरासत से दर्ज हुई है जिनकी भी अब मृत्यु हो चुकी है जिनमें हम गैर-सामलात वारिस है इस कारण हमें इसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व सामलात को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे। प्रार्थना-पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन करने व पत्रावली में मौजूद समस्त दस्तावेजों, काउंटर T.I. के आधार पर प्रार्थना-पत्र को निरस्तारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	

उपखण्ड अधि...
करौली (राज०)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का. व अनुशीलन का आधार पर प्रार्थना-पत्र निर्णीत किया जाकर स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस कारण प्रार्थना-पत्र अंतिम रूप से निस्तारित किया जाकर उभयपक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम पिपरानी के खा.न. 350, 364 में किसी एक-दूसरे के कब्जे-काश्त में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना तो स्वयं करे और न ही दीगर व्यक्ति से करावे। उक्त विवादित आराजी की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	